सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1408/BR/1/2023-APCR

दिनांक: 22/08/2023

1. **श्री मुकुल कुमार गुप्ता**
   कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
   जिला - सिवान,
   समाहरणालय,
   सिवान, बिहार - 841203
   Email Id: dm-siwan.bih@nic.in

2. **श्री शैलेश कुमार सिन्हा**
   पुलिस अधीक्षक,
   जिला - सिवान,
   समाहरणालय सिवान,
   सिवान, बिहार - 841203
   Email Id: sp-siwan-bih@nic.in

विषय: जमीन पर जबरन कब्जा करना एवं मार-पीट तथा अभद्र गालियाँ व जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित करने के बाद न्यायालय मे वाद खारिज होने पर भूमि पर राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी मे कब्जा दिलाने के संबंध मे - श्री अजय कुमार साह गोंड, उत्तम नगर, नई दिल्ली (ग्राम- बगौरा, थाना - दारौंदा, जिला - सिवान, बिहार) दिनांक - 10.08.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री अजय कुमार साह गोंड** से दिनांक 11/08/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **7 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

(आर. के. दुबे)
उप निदेशक
दूरभाष सं.: rk.dubey@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री अजय कुमार साह गोंड
ब - 510 DDA फ्लैट, बिंदापुर,
उत्तम नगर
नई दिल्ली -- 110059
Ph: 8510951549